

स्मरण पत्र द्वितीय  
अति आवश्यक  
स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक एफ 6( )स्टोर/Proc-Gen/आईसीडीएस/09-10/55457-488  
जयपुर, दिनांक 17.8.09  
उप निदेशक (बाल विकास)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
समस्त

विषय- आईसीडीएस के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में आपूर्ति की गई सामग्री के वितरण व उपयोग बाबत दिशा निर्देश।

संदर्भ- विभागीय पत्र क्रमांक 31049 -80 दिनांक 14.05.09 एवं 42710 दिनांक 24.06.09

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों से वित्तीय वर्ष 2008-09 में आईसीडीएस के अन्तर्गत आपके जिले में आपूर्ति की गई सामग्री के अग्रिम वितरण की सूचना चाही गई थी जो आदिनांक तक अप्राप्त है। पुनः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि संदर्भित पत्र द्वारा चाहा गया प्रमाण पत्र (" प्रमाणित किया जाता है बिन्दु संख्या 1 से 6 तक की सामग्री संदर्भित परिशिष्ट के अनुसार सही मात्रा में प्राप्त कर ली गई है तथा इसका वितरण आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी सामग्री जिला स्तर पर वितरण हेतु शेष नहीं है" ) सात दिवस में भिजवावें।

सात दिवस में वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा कि आप द्वारा समस्त सामग्री का वितरण आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कर दिया गया है। निदेशालय के अधिकारियों के मासिक निरीक्षण के समय यदि सामग्री अवितरित पाई गई तो इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

*Caral*  
निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर